अंक 4 माहः नवम्बर 2024

विश्वत

मासिक पत्रिका

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Madhya Pradesh, Khandwa AN AISECT GROUP UNIVERSITY

विश्वविद्यालय मासिक पत्रिका

"ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिष्चला विजये
We are Energetic, Influential and are Always Committed"

मास का सूत्र

" भारतीय संविधान एक समावेशी, समानता, और स्वतंत्रता का संविधिक गहना है, जो प्रत्येक नागरिक को अधिकार, न्याय और समान अवसर प्रदान करता है। यह धर्म, जाति, लिंग, और भाषा के भेदभाव से परे सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थिरता और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की दिशा में मार्गदर्शन करता है। "

बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर

संपादकीय

मेरा संविधान, मेरा गौरव

भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा, आदर्शों और मूल्यों का प्रतीक है। यह हमारे राष्ट्र की लोकतांत्रिक संरचना का आधार है और हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। जब हम कहते हैं "मेरा संविधान, मेरा गौरव", तो इसका अर्थ सिर्फ संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करना नहीं, बल्कि इसे अपनी पहचान और अस्मिता के रूप में स्वीकार करना है।

भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। इसे डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक संविधान निर्माता समिति ने तैयार किया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 12 भाग, और 104 अनुशंसा की गई सूचियाँ हैं। संविधान के निर्माण में भारतीय विविधता, समाज की संरचना, और विभिन्न संस्कृति की विशेषताओं को ध्यान में रखा गया था।

भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह एक संसदीय लोकतंत्र की नींव रखता है। इसमें प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार दिया गया है। "हम भारत के लोग" के उद्घाटन शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान नागरिकों के सामूहिक संकल्प का परिणाम है। यह भारतीय नागरिकों को न केवल अपने अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है, बल्कि उनके कर्तव्यों को भी स्वीकार करता है।

संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों (Right to Equality, Right to Freedom, Right to Life and Personal Liberty, etc.) का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, स्वतंत्र और गरिमामय जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके साथ ही, संविधान नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की भी प्रेरणा देता है, ताकि देश में सामूहिक विकास और समृद्धि हो।

भारत का संविधान समाज में समानता की स्थापना पर जोर देता है। यह जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव को नकारता है और हर नागरिक को समान अवसर देने की बात करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति समाज में शोषण का शिकार न हो, और हर किसी को अपने अधिकारों का समान रूप से लाभ मिले।

हालाँकि भारतीय संविधान में पर्याप्त लचीलापन है, ताकि समय-समय पर इसे समाज की बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संविधान में समय के साथ बदलाव किया जा सकता है, लेकिन यह बदलाव सिर्फ संवैधानिक ढांचे को बनाए रखते हुए होते हैं।

"मेरा संविधान, मेरा गौरव" केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि यह भारतीय नागरिक की पहचान और गौरव का प्रतीक है। यह हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है, और समाज में न्याय, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को बढ़ावा देता है। संविधान का सम्मान करना और इसके उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना ही हमारे राष्ट्र के प्रति सच्चा गौरव है।

वृतांत

- डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय में "21वीं सदी के लिए शिक्षक का सशक्तिकरण" विषय पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि श्री आलोक साकल्ये ने नई शिक्षा नीति 2020 की सराहना की, और कुलपति डॉ. अरुण जोशी ने इसे शिक्षा गुणवत्ता सुधारने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। कार्यक्रम में शिक्षा अध्ययन शाला की छात्राओं ने अपने विचार साझा किए, और बड़ी संख्या में छात्र व प्राध्यापक उपस्थित थे।

- डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय ने फ्रेंच भाषा का 3 महीने का ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किया। यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के श्री अरबिंदो लैंग्वेज लैब के माध्यम से संचालित होगा, और यह छात्रों, पेशेवरों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभकारी है। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

- डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वनमाली दक्षता प्रतियोगिता प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई। इस केंद्र में छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट, विशेष पाठ्यक्रम और प्रैक्टिस टेस्ट प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में कुलगुरु डॉ. अरुण जोशी ने विद्यार्थियों को निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास का महत्व बताया।

- डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय ने नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) पर आधारित शैक्षणिक विकास कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें डॉ. प्रभुनारायण मिश्रा ने उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम अद्यतन और शिक्षक परिणामों के समन्वय पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में NEP के उद्देश्यों और शिक्षा में सुधार के नए दृष्टिकोणों पर विचार किया गया।

- डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय संविधान के महत्व और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चर्चा की गई। दीप प्रज्वलन, संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन, और क्विज़ प्रतियोगिता के बाद, मुख्य अतिथि ने संविधान के पालन की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ।

अंक 4, क्रमांक -2,
माहः नवम्बर 2024

विश्वत

संविधान दिवस का परिचय और उसकी विशेषताएँ

परिचय: संविधान दिवस, जिसे 26 नवंबर को मनाया जाता है, भारत के संविधान की पारित होने की तारीख को याद करने का एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान सभा ने तैयार किया और 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया। हालांकि संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को मंजूरी दी थी, इसलिए इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विशेषताएँ:

1. संविधान की स्वीकृति: 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आधिकारिक रूप से स्वीकृति दी गई थी। संविधान के 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे, और यह भारतीय लोकतंत्र का आधार बना।
2. संविधान के निर्माण में योगदान: डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार थे और उन्हें "संविधान के जनक" के रूप में जाना जाता है।
3. संविधान की उद्देशिका: भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया।
4. संविधान का प्रभाव: संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया और नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी दी, जो किसी भी राज्य द्वारा उल्लंघन नहीं किए जा सकते हैं।

संविधान दिवस हमें हमारे संविधान की महानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाता है। यह दिवस हमें राष्ट्र निर्माण और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। संविधान दिवस का मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को यह समझाना है कि संविधान न केवल कानूनों का एक समूह है, बल्कि यह एक जीवित दस्तावेज है जो हमारे देश की एकता, अखंडता और प्रगति को सुनिश्चित करता है।

संपादकीय मंडल

संरक्षक : प्रो. डॉ. अरुण रमेश जोशी,
कुलगुरु, सीवीआरयू खंडवा,
प्रधान संपादक : श्री रवि चतुर्वेदी, कुलसचिव, सीवीआरयू, खंडवा,
कार्यकारी संपादक : प्रो. नेहा शुक्ला, मुख्य प्रकाशन अधिकारी
साक्षी चौहान,
सदस्य : 1. डॉ. सीमा शर्मा, डायरेक्टर रिसर्च एंड इनोवेशन
2. डॉ. गणेश मलगाया, डायरेक्टर केंद्रीय प्रयोगशाला समन्वयक
3. प्रो. योगेश महाजन, तकनीकी अधिकारी, कुलगुरु सचिवालय
संकल्पना : श्री प्रमोद पटेल, ग्राफिक डिजाइनर
प्रकाशन विभाग
पवन चौरसिया, ग्राफिक डिजाइनर
संचार एवं प्रसार : श्री मनदीप सिंह पंवार, अध्ययनशाला समन्वयक
आर्यभट्ट स्कूल ऑफ डिजिटल लर्निंग
श्री हमज़ा मलिक,
वनमाली केन्द्रीय ग्रंथालय

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

" हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,
तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए,
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। "

मुख्य विशेषताएँ

संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न – भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है।
समाजवादी – समानता पर आधारित समाज निर्माण।
पंथनिरपेक्ष – धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हुए सभी धर्मों का सम्मान।
लोकतंत्रात्मक गणराज्य – जनता द्वारा निर्वाचित सरकार और राष्ट्रपति।
न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय।
स्वतंत्रता – विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
समता – अवसर की समानता।
बंधुता – व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता का विकास।
26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर

डॉ. भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज सुधारक, संविधान निर्माता और महान नेता थे, जिन्होंने भारतीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के लिए अपार योगदान दिया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। वे भारतीय समाज के दलित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित थे और उनके योगदान को भारतीय इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता।

डॉ. अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महू में प्राप्त की। बाद में वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए और वहां कोलंबिया विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की। उन्होंने भारतीय समाज के जातिवाद और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने भारतीय समाज में सामाजिक न्याय की दिशा को नया मोड़ दिया।

डॉ. अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। वे संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य भारतीय समाज को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज देना था। उनके द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान में महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई।

डॉ. अंबेडकर ने समाज में व्याप्त जातिवाद और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया और अंततः 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में जातिवाद की प्रणाली की वजह से दलित वर्ग को अपमानित किया जा रहा था। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने लाखों लोगों को अपने साथ लाकर समाज में धर्म, समानता और बंधुत्व के विचारों को फैलाया।

डॉ. अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उनका जीवन भारतीय समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे न केवल दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता थे, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने भारतीय राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था में स्थायी परिवर्तन किए। उनकी जयंती, 14 अप्रैल, हर साल 'अंबेडकर जयंती' के रूप में मनाई जाती है और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जाता है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का योगदान भारतीय समाज में एक क्रांति के रूप में माना जाता है। उनके दृष्टिकोण और कार्यों के कारण, भारतीय समाज में समानता की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है और उनके विचारों को याद करना भारतीय समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है।

" संविधान सभा के प्रमुख सदस्य : भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका "

संविधान सभा के सदस्य वे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का संविधान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों, विचारधाराओं और क्षेत्रों से नेता शामिल थे। यहाँ प्रमुख संविधान सभा के सदस्यों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है:

1. डॉ. भीमराव अंबेडकर (1891-1956)

भूमिका: संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष।

योगदान: भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और दलित उत्थान पर जोर दिया।

विचारधारा: समतामूलक समाज के समर्थक और दलित अधिकारों के रक्षक।

2. डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1884-1963)

भूमिका: संविधान सभा के अध्यक्ष।

योगदान: संविधान निर्माण प्रक्रिया में समन्वय और नेतृत्व प्रदान किया।

विचारधारा: राष्ट्रवादी और गांधीवादी विचारधारा के समर्थक। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने।

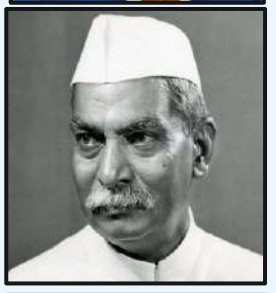

3. पंडित जवाहरलाल नेहरू (1889-1964)

भूमिका: संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री।

योगदान: उद्देशिका (Preamble) को परिभाषित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में योगदान।

विचारधारा: लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के समर्थक। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।

4. सरदार वल्लभभाई पटेल (1875-1950)

भूमिका: संविधान सभा के सदस्य और अंतरिम सरकार में गृहमंत्री।

योगदान: रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका। संघीय ढांचे को मजबूत बनाने में योगदान।

विचारधारा: एकता और अखंडता के समर्थक।

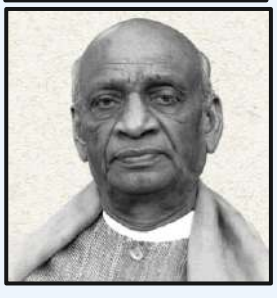

5. महात्मा गांधी (1869-1948)
भूमिका: संविधान सभा के प्रत्यक्ष सदस्य नहीं थे लेकिन उनके विचार और सिद्धांत संविधान की आत्मा बने।
योगदान: अहिंसा, ग्राम स्वराज और सामाजिक समरसता पर जोर।

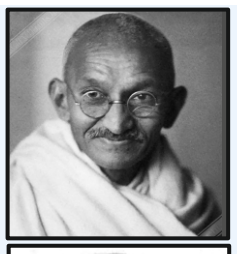

6. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (1901-1953)
भूमिका: संविधान सभा के सदस्य और शिक्षा मंत्री।
योगदान: हिंदू संस्कृति और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य किया।
विचारधारा: सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक।

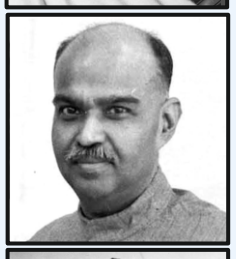

7. अबुल कलाम आज़ाद (1888-1958)
भूमिका: संविधान सभा के सदस्य और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री।
योगदान: शिक्षा और सांस्कृतिक एकता पर जोर।
विचारधारा: धार्मिक सहिष्णुता और एकता के समर्थक।

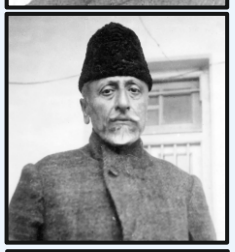

8. के.एम. मुंशी (1887-1971)
भूमिका: प्रारूप समिति के सदस्य।
योगदान: मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता पर जोर दिया।
विचारधारा: राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के समर्थक

9. जयप्रकाश नारायण (1902-1979)
भूमिका: संविधान सभा के सक्रिय सदस्य।
योगदान: समाजवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए समर्थन।

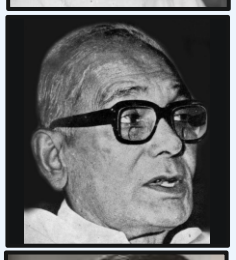

10. विजया लक्ष्मी पंडित (1900-1990)
भूमिका: संविधान सभा की सदस्य।
योगदान: महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता के मुद्दे उठाए।

11. टी.टी. कृष्णमाचारी (1899-1974)
भूमिका: प्रारूप समिति के सदस्य।
योगदान: संविधान के आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया।

12. हरेंद्र कोमार मुखर्जी (1887-1956)
भूमिका: संविधान सभा के उपाध्यक्ष।
योगदान: अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया।

13. गोपीनाथ बोरदोलोई (1890-1950)
भूमिका: असम से संविधान सभा के सदस्य।
योगदान: पूर्वोत्तर भारत के विकास और एकीकरण पर कार्य किया।

14. भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह (1881-1947)
भूमिका: स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी। संविधान सभा में सीमित भूमिका।

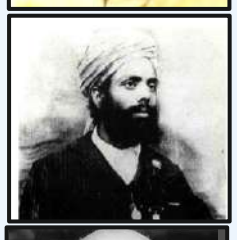

15 . राजाजी (सी. राजगोपालाचारी)
भूमिका: गांधीवादी नेता और संविधान निर्माण प्रक्रिया में सहयोग।
योगदान: संघीय ढांचे और राज्य अधिकारों पर विचार रखे।

16. भीखाजी कामा
योगदान: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अप्रत्यक्ष योगदान। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा।

संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिन्होंने बहस और विचार-विमर्श के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति दी। ये सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ और अपने योगदान के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे।

विश्वत
अंक 4, क्रमांक -5,
माहः नवम्बर 2024

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार: स्वतंत्रता, समानता, और न्याय की आधारशिला

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) भारतीय नागरिकों को दिए गए कुछ अधिकार हैं, जो उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लिखित हैं और इनका उद्देश्य नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान में कुल छह मौलिक अधिकार हैं :

समानता का अधिकार (Right to Equality)
हर नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। जाति, धर्म, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव व अस्पृश्यता पर रोक है।

स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)
नागरिकों को बोलने, धार्मिक स्वतंत्रता, सभा करने और आंदोलन करने का अधिकार है। यह अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन सीमित हो सकता है।

शोषण के खिलाफ अधिकार (Right against Exploitation)
दासता और बालश्रम पर रोक लगाई गई है। शोषण के उद्देश्य से किसी को काम के लिए मजबूर करना अवैध है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)
धर्म का पालन, प्रचार, और पूजा करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है।

संस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
(Cultural and Educational Rights)
धार्मिक और सांस्कृतिक समूह अपनी संस्कृति, भाषा और शिक्षा की रक्षा कर सकते हैं। बच्चों को अपनी पसंद के स्कूल में पढ़ने का अधिकार है।

संविधानिक उपचार का अधिकार
(Right to Constitutional Remedies)
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

" भारतीय संविधान में संशोधन "

भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और समय के साथ इसे जीवंत बनाए रखने के लिए संशोधन किया जाता है। संविधान का उद्देश्य उसे समाज की बदलती जरूरतों और समय की मांग के अनुसार प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखना है।

संविधान में संशोधन का अर्थ

संविधान में संशोधन का मतलब किसी भी प्रावधान या अनुच्छेद में बदलाव करना है। भारतीय संविधान की धारा 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित है। इस प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में बदलाव किए जाते हैं ताकि यह देश की बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप ढल सके।

संशोधन का महत्व

संविधान में संशोधन का मुख्य उद्देश्य इसे समय के साथ अद्यतन और सामंजस्यपूर्ण बनाए रखना है। भारतीय समाज के निरंतर विकास और बदलाव के साथ नए विचारों, समस्याओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन किया जाता है। यह प्रक्रिया समाज में समावेशिता, समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देती है। उदाहरण के तौर पर, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।

संशोधन की उपयोगिता

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि संविधान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बना रहे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि संविधान स्थायिता बनाए रखते हुए लचीला भी होता है। यह प्रक्रिया सरकारों और संसद को नई समस्याओं पर त्वरित प्रतिक्रिया देने की शक्ति देती है, जिससे संविधान का पालन करते हुए समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित हो सके।

संक्षेप में, भारतीय संविधान में संशोधन का उद्देश्य इसे जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखना है, ताकि यह देश के विकास और बदलते समाज की जरूरतों को पूरा कर सके।

भारत में अब तक हुए संविधान संशोधन

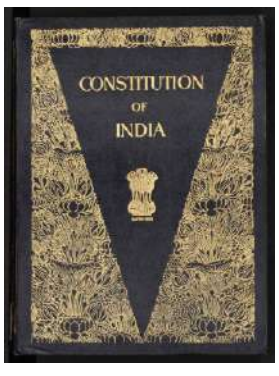

भारतीय संविधान में अब तक 105 संशोधन किए जा चुके हैं। संविधान के पहले संशोधन से लेकर अब तक कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक संशोधन हुए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:

- **पहला संशोधन (1951) -** यह संशोधन भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन था, जो अनुच्छेद 15 में बदलाव करके सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को वैध बनाता है।
- **42वां संशोधन (1976) -** इस संशोधन ने संविधान में "समाजवादी," "पंथनिरपेक्ष," और "अखंडता" शब्दों को जोड़ा। साथ ही, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भी किया गया, जो भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों को स्पष्ट करता है।
- **52वां संशोधन (1985) -** इसे "दल-बदल विरोधी कानून" के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन ने संसद और विधानसभा के सदस्य को पार्टी बदलने से रोकने के लिए एक कड़ा कानून लागू किया, जो भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और स्थिरता लाने में मददगार साबित हुआ।
- **73वां संशोधन (1992) -** इस संशोधन ने पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और भारत में स्थानीय सरकारों को मजबूत करने के लिए विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया।
- **101वां संशोधन (2016)** - इस संशोधन में वस्तु और सेवा कर (GST) को संविधान में शामिल किया गया, जिससे भारतीय कर प्रणाली में बड़ा बदलाव आया और वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर प्रणाली लागू की गई।
- 1**05वां संशोधन (2021)** - इस संशोधन के तहत राज्यों को अपनी ओबीसी (आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग) सूची तैयार करने का अधिकार मिला। इससे राज्यों को अपने यहां विशेष प्रावधानों को लागू करने की स्वतंत्रता मिली।

छात्र विथिका

डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय में संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय संविधान के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न शैक्षिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं। संविधान की प्रस्तावना का पठन किया गया, संविधान के विकास पर प्रस्तुति दी गई, और लोकतंत्र पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। अतिथि वक्ताओं ने नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा की, जिससे विद्यार्थियों में संविधान के आदर्शों और नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई।

कार्यक्रम के उद्देश्य:

- **संविधान का महत्व समझाना :** भारतीय संविधान के मौलिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक ढांचे में इसके योगदान को विद्यार्थियों तक पहुँचाना।
- **अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना :** संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों और नागरिकों के कर्तव्यों को विद्यार्थियों में जागरूक करना।
- **संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना :** डॉ. भीमराव अंबेडकर और अन्य महान नेताओं को सम्मानित करना जिन्होंने संविधान के निर्माण में योगदान दिया।
- **देशभक्ति और एकता को बढ़ावा देना :** विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के प्रति सम्मान बढ़ाना।
- **शैक्षिक गतिविधियाँ प्रोत्साहित करना :** प्रस्तावना पठन, पीपीटी प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी और संवादात्मक सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना :** संविधान के विकास और ऐतिहासिक उदाहरणों से विद्यार्थियों को अवगत कराना।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों को समाज में बढ़ावा देना :** विद्यार्थियों को संविधान के आदर्शों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करना।
- **प्रतिभा और भागीदारी को प्रोत्साहित करना :** प्रश्नोत्तरी और अन्य गतिविधियों के विजेताओं को पुरस्कार देकर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना।

कार्यक्रम के परिणाम:

- **जागरूकता में वृद्धि :** विद्यार्थियों को भारतीय संविधान, उसके मूल्यों और नागरिक जिम्मेदारियों के बारे में गहरी समझ प्राप्त हुई।
- **नागरिक संलग्नता :** प्रतिभागियों में राष्ट्रीय गर्व और नागरिक कर्तव्य का बोध मजबूत हुआ।
- **ज्ञान में वृद्धि :** प्रश्नोत्तरी और प्रस्तुतियों ने संविधान के ऐतिहासिक और सिद्धांतात्मक पहलुओं को समझने में मदद की।
- **कौशल विकास :** सामूहिक प्रस्तावना पठन और संवादात्मक सत्रों ने विद्यार्थियों के प्रस्तुति और विश्लेषणात्मक कौशल को बेहतर किया।
- **सशक्त युवा :** इस कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने और संविधान के आदर्शों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

" राष्ट्र के विकास की दिशा में नई पहल "

संविधान और नीति-निर्देशक तत्वों के प्रकाश में शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियाँ

भारत का संविधान न केवल कानून और अधिकारों का दस्तावेज़ है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास का मार्गदर्शक भी है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित गतिविधियाँ इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संविधान में उल्लिखित नीति-निर्देशक तत्वों (Directive Principles) से प्रेरित हैं।

महर्षि कर्वे मानविकी कला एवं भाषा अध्ययन शाला

साहित्यिक गोष्ठी : संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित कविताओं और लेखों का संग्रह।
ड्रामा और नुक्कड़ नाटक : सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता पर आधारित।
अनुच्छेद संबंधित :
अनुच्छेद 38(1) : समाज में न्याय और कल्याण को बढ़ावा देना।
अनुच्छेद 39(घ) : समान कार्य के लिए समान वेतन और लैंगिक समानता।

MAHARISHI KAUTILYA SCHOOL OF COMMERCE AN ISO 9001:2015 CERTIFIED FOR QMS

वित्तीय साक्षरता शिविर : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना।
एमएसएमई जागरूकता अभियान : स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन। टैक्स और पेंशन योजनाओं पर कार्यशाला।
अनुच्छेद संबंधित :
अनुच्छेद 39(क): संसाधनों का समान वितरण।
अनुच्छेद 43: नागरिकों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराना।
अनुच्छेद 41: बेरोजगारी और आर्थिक असमानताओं को दूर करना।

S. RAMANUJAN SCHOOL OF SCIENCE AN ISO 9001:2015 CERTIFIED FOR QMS

विज्ञान मेले : सौर ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शन। जल संरक्षण प्रोजेक्ट।
अनुच्छेद संबंधित:
अनुच्छेद 48-ए: पर्यावरण संरक्षण।
अनुच्छेद 51(ए)(जी): वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन।

SWAMI VIVEKANAND SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES AND ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT AN ISO 9001:2015 CERTIFIED FOR QMS

नेतृत्व और प्रबंधन कार्यशाला। व्यवसायिक नैतिकता सम्मेलन।
संगठनात्मक कौशल विकास।
अनुच्छेद संबंधित:
अनुच्छेद 43: श्रमिकों और रोजगार में सुधार।
अनुच्छेद 39(बी): संसाधनों का समान वितरण।

SIR MOKSHAGUNDAM VISVESVARAYA SCHOOL OF VOCATIONAL EDUCATION AN ISO 9001:2015 CERTIFIED FOR QMS

स्टार्टअप और उद्यमिता कार्यक्रम।
अनुच्छेद संबंधित:
अनुच्छेद 41: आजीविका के अवसर।

MAHARISHI CHARAK SCHOOL OF PARAMEDICAL SCIENCE

मुफ्त स्वास्थ्य शिविर।

रक्तदान अभियान।

पोषण और स्वास्थ्य पर संगोष्ठी।

अनुच्छेद संबंधित:

अनुच्छेद 47 : पोषण स्तर में सुधार।

अनुच्छेद 39(ई) : बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा।

निःशुल्क

स्वास्थ्य शिविर

VANMALI SCHOOL OF EDUCATION

शिक्षा का अधिकार अभियान।

शिक्षकों के लिए कार्यशालाएँ।

विद्यार्थी वाद-विवाद प्रतियोगिता।

अनुच्छेद संबंधित:

अनुच्छेद 45: 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा।

अनुच्छेद 41: शिक्षा के अवसर।

अनुच्छेद 46: कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुविधाएँ।

Prof. M.L. Schroff School of Pharmacy

जेनरिक दवाओं का प्रचार। औषधि अनुसंधान शिविर।

मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन।

अनुच्छेद संबंधित:

अनुच्छेद 47: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।

अनुच्छेद 48-क: पर्यावरणीय स्वास्थ्य।

RISHI PARASHAR SCHOOL OF AGRICULTURE SCIENCE

किसान कल्याण अभियान। जैविक खेती प्रशिक्षण। जल प्रबंधन कार्यशाला।

अनुच्छेद संबंधित:

अनुच्छेद 48: कृषि में सुधार।

अनुच्छेद 48-ए: जल संरक्षण।

TECHNO PARK SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY

डिजिटल साक्षरता अभियान। साइबर सुरक्षा कार्यशाला। एआई और मशीन लर्निंग प्रशिक्षण।

अनुच्छेद संबंधित:

अनुच्छेद 38(2): आर्थिक असमानताओं को कम करना।